Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान में जनशिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता

डॉ. रतन लाल सुथार*

* सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) विद्या भवन रूरल इंस्टिट्यूट, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र 'जन शिकायतों के निवारण में राजस्थान लोकायुक्त की प्रासंगिकता' विषय पर आधारित है। लोकायुक्त एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जिसका गठन भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और पक्षपात जैसे प्रशासनिक दुराचार की जांच हेतु किया गया है। राजस्थान में इसका गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत हुआ। इस अध्ययन में लोकायुक्त की संरचना, कार्यक्षेत्र और जन शिकायत निवारण में इसकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है। शोध में पाया गया कि लोकायुक्त पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक है, किंतु इसके अधिकार केवल सिफारिशात्मक होने और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। शोध पत्र में संस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कानूनी सशक्तिकरण, तकनीकी संसाधन और जन-जागरूकता बढ़ाने जैसे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।
शब्द कुंजी – लोकायुक्त, राजस्थान, शिकायत निवारण, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही, कानूनी सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – 21वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ सरकारी कृत्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सामाजिक सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रजातांत्रिक सरकारों द्वारा नागरिकों के दैनंदिनी जीवन के प्राय: प्रत्येक पहलू में हस्तक्षेप होने लगा है। जहाँ सरकार द्वारा नवीन उत्तारदायित्वों को स्वीकार करने के कारण प्रशासकीय क्रियाओं में अनवरत वृद्धि हुई है, वहीं प्रशासन से होने वाली सामान्य एवं व्यक्तिगत जन शिकायतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका नागरिकों की प्रशासन पर निर्भरता बढ़ाती है। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग अनाचार, परेशानी और भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप ही जनता में प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें पैदा होती हैं। स्वयं की समृद्धि के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग एक सामान्य बात बन गई है। इस दुरुपयोग में जानबूझकर किसी को लाभ पहुँचाना या किसी दूसरे को हानि पहुँचाना अथवा स्वार्थ भाव से पद एवं उसकी शक्तियों का अनैतिकतापूर्वक उपयोग करना है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यह सामान्य धारणा है कि मुगल शासकों द्वारा उत्पादित, अंग्रेज शासकों द्वारा लाद-ठुंसकर से पोषित भ्रष्टाचार को यह रुपयेपची नारी जनजागरण तथा जनकल्याण के लिए दिशाविहीन बनी हुई है, जिसने आशा, विश्वास तथा धैर्य के विरूद्ध चावसमय आमोक की आशा को अपने काले आँचल में लगभग ढक लिया है। आज प्रशासन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो इस महाछत्र की विशाल छाया से अपने को वंचित रख सका हो।

जन शिकायतों के निवारण, प्रशासन के अधिकारों के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों को पहचाना तथा एक उत्तारदायी शासन की स्थापना के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता का अनुकरण किया गया। जो प्रत्यक्ष तथा निष्पक्ष हो, जाँच की कार्यवाहियाँ गैर-मौखिक तथा औपचारिक प्रकृति की हो, कार्यवाहियाँ न्यायिक हस्तक्षेप से परे हो तथा उसे अपने कार्यों को पूरे करने में नैतिक दृष्टिकोण, तथा स्वतंत्रता हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्थान की तर्ज पर केन्द्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई है। हालाँकि केन्द्र में लोकपाल संस्थान की स्थापना अभी तक झूठ की कोड़ी साबित हो रही है, क्योंकि यह संस्था राजनीति के बाहर जा चुकी है। लेकिन राज्यों में लोकायुक्त संस्थान सकारात्मक कार्य कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के जन शिकायतों के निवारण में लोकायुक्त संस्थान की प्रासंगिकता एवं इसकी उपयोगिता परखने का एक लघु प्रयास है।

लोकायुक्त की उत्पत्ति और विकास स्वीडन में 1809 में ओम्बड्समैन नामक संस्था का गठन हुआ, जिसने नागरिकों की शिकायतों पर कार्य किया। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफारिशों पर अपनाया गया। राज्यों में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम के तहत की गई (पहली बार 1971 में महाराष्ट्र में)।

संरचना और अधिकार क्षेत्र :

1. **संरचना:** एक लोकायुक्त (अध्यक्ष) और उप-लोकायुक्त, जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. **अधिकार क्षेत्र:** मुख्यमंत्री (कुछ राज्यों में), मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारी, और प्रशासनिक निकाय।
3. **कार्य:** भ्रष्टाचार, पक्षपात और शक्ति दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।

जन शिकायत निवारण में भूमिका :

1. **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण –** लोकायुक्त स्वतंत्र रूप से उच्च अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है।
2. **नागरिकों के अधिकारों की रक्षा –** पीड़ित व्यक्ति को बिना राजनीतिक दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करने का अवसर मिलता है।
3. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही –** जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर प्रशासन पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
4. **शासन सुधार में योगदान –** नीतिगत खामियों पर सिफारिश देकर सुधार की दिशा में कदम।
5. **चुनौतियां – सीमित अधिकार –** निर्णय केवल सिफारिश स्वरूप होते हैं, बाध्यकारी नहीं।
6. **राजनीतिक हस्तक्षेप –** नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली में राजनीतिक प्रभाव।
7. **संसाधनों की कमी –** जांच प्रक्रिया में पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों का अभाव।
8. **जन जागरूकता की कमी –** आम जनता में लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी कम।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता :

1. सूचना का अधिकार, डिजिटल पारदर्शिता और ई-शासन के दौर में भी लोकायुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2. यह संस्था न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बल्कि नागरिकों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम है।
3. राज्यों में लोकायुक्त की सक्रियता सुशासन की गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक बन चुकी है।

सुधार हेतु सुझाव :

1. लोकायुक्त के निर्णयों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए।
2. वित्तीय और तकनीकी संसाधनों में वृद्धि।
3. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।
4. लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के प्रति जन-जागरूकता अभियान।
5. केंद्र और राज्यों के लोकपाल-लोकायुक्त तंत्र में समन्वय।

हालिया परिप्रेक्ष्य – राजस्थान में लोकायुक्त ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर किया। डिजिटल युग में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू करने से इसकी पहुंच बढ़ी है। फिर भी, शिकायतों की संख्या और उनकी जटिलता में वृद्धि होने से संस्था पर कार्यभार भी बढ़ा है। राजस्थान लोकायुक्त संस्थान का गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत हुआ। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, कुप्रशासन और जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है।

इसकी कार्यप्रणाली निम्न प्रकार से है।

शिकायत प्राप्ति – कोई भी नागरिक, संगठन या जनप्रतिनिधि लिखित रूप से लोकायुक्त को शिकायत दे सकता है। शिकायतें व्यक्तिगत, डाक, ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से स्वीकार की जाती हैं। केवल वही शिकायतें स्वीकार की जाती हैं जो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आती हों (जैसेकृराज्य सरकार के मंत्री, सचिव, अन्य उच्चाधिकारी)।

प्रारंभिक जांच– शिकायत प्राप्त होने के बाद, यह देखा जाता है कि मामला लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। यदि शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई जाती है तो प्रारंभिक जांच की जाती है। निराधार या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

विस्तृत जांच –लोकायुक्त के जांच अधिकारी, दस्तावेज, फाइलें, गवाह और अन्य प्रमाण एकत्र करते हैं। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग से दस्तावेजों की जब्ती और गोपनीय जानकारी भी ली जा सकती है। गवाहों के बयान शपथपूर्वक दर्ज किए जाते हैं।

रिपोर्ट तैयार करना – जांच पूरी होने के बाद, लोकायुक्त एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करता है।

रिपोर्ट में :

1. जांच के निष्कर्ष।
2. दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों की सूची।
3. अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश दी जाती है।

सिफारिशों का अनुपालन :

1. रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है।
2. सरकार को निर्धारित समय में लोकायुक्त की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है।
3. कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट और पारदर्शिता :

1. लोकायुक्त हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
2. यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है और उस पर चर्चा हो सकती है।
3. लोकायुक्त कार्यालय अपनी गतिविधियों और आंकड़ों को सार्वजनिक करता है।

स्वतंत्रता और सीमाएँ :

1. लोकायुक्त कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करता है, लेकिन इसके पास प्रत्यक्ष दंड देने की शक्ति नहीं होती, केवल सिफारिश करने का अधिकार है।
2. इसके दायरे से कुछ पद (जैसे- गवर्नर, न्यायाधीश) बाहर रहते हैं।

निष्कर्ष – राजस्थान में लोकायुक्त आज भी भ्रष्टाचार-निवारण और जन शिकायत निवारण का एक प्रभावी मंच है। हालांकि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता तब ही बढ़ेगी जब इसे अधिक कानूनी अधिकार, तकनीकी संसाधन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।

सुझाव :

1. लोकायुक्त की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान।
2. आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग।
3. अधिक स्टाफ और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।
4. शिकायत निस्तारण के लिए समयसीमा तय करना।
5. जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इसके अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973।
2. लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्टें, राजस्थान सरकार।
3. समाचार पत्र एवं ऑनलाइन पोर्टल।
4. संबंधित शोध पत्र और विधिक अध्ययन।